संख्याः– **/ XXIX-2 / 2025 / E-88782**

प्रेषक,

अपूर्वा पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग–02 **देहरादून, दिनांकः सितम्बर, 2025**

विषयः जनपद हरिद्वार की हरिद्वार शाखा के अन्तर्गत जोन तृतीय ज्वालापुर हरिद्वार में क्षतिग्रस्त पाईप लाईनों के स्थान पर 160 मिमी व्यास और 90 मिमी व्यास की HDPE पाईप लाईनों को बिछाने और जोड़ने के कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या–6224 / टी०ए०सी० / 2024–25, दिनांक 21 जनवरी, 2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार की हरिद्वार शाखा के अन्तर्गत जोन तृतीय ज्वालापुर हरिद्वार में क्षतिग्रस्त पाईप लाईनों के स्थान पर 160 मिमी व्यास और 90 मिमी व्यास की HDPE पाईप लाईनों को बिछाने और जोड़ने के कार्य की विभागीय टी०ए०सी० द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 80.09 लाख में से सेन्टेज की धनराशि को कम करते हुए ₹ 75.61 लाख (₹ पचहत्तर लाख इकसठ हजार मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रथम किश्त के रूप में ₹ 45.37 लाख (₹ पैंतालीस लाख सैंतीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित प्रतिबन्धों / शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा।

(ii) उक्त कार्य / योजना की जीआईएस मैपिंग आवश्यक रूप से की जाय।

(iii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2026 तक पूर्ण व्यय कर कार्य की वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय। धनराशि का किसी भी दशा में किसी भी स्तर पर पार्क नहीं किया जायेगा।

(iv) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिडयूल आफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(v) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

(vi) उक्त स्वीकृति के सापेक्ष कार्य की निविदा उपरान्त सफल निविदादाता से किये गये अनुबन्धात्मक वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(vii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक का व्यय कदापि न किया जाय।

(viii) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।

(ix) निर्माण कार्यों को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाय, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाय कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सके।

(x) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(xi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। स्वीकृत आंगणन में प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व समक्ष अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(xii) उक्त योजना के औचित्य/आवश्यकता एवं लागत की उपयुक्तता इत्यादि को सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(xiii) उक्त योजना के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्त नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–05 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(xiv) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(xv) शासनादेश सं० 2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(xvi) उक्त स्वीकृत लागत के सापेक्ष कार्य की निविदा उपरान्त सफल निविदादाता से किये गये अनुबन्धानुसार वास्तविक व्यय के आधार पर धनराशि व्यय की जायेगी तथा अवशेष बचत धनराशि को राजकोष में जमा किया जायेगा।

(xvii) आगणन में प्राविधानित मदें/मात्राएं/डिजाईन आवश्यकतानुसार होने एवं जी०एस०टी० की गणना नियमानुसार होने का दायित्व उत्तराखण्ड जल संस्थान को होगा।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान संख्या–13 के लेखाशीर्षक 4215–जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जल पूर्ति–101–शहरी जल पूर्ति–03–नगरीय पेयजल–01–नगरीय पेयजल/जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण–53–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3– धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन आई०डी० संलग्न से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या–I-287566/E-79713/09(150)2019/XXVII(1) 2025, दिनांक 31.03.2025 के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– यह आदेश वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनित संख्या–I/310131/2025, दिनांक 30 जून, 2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

Digitally signed by
Apurva Pandey
Date: 25-09-2025
16:42:29

(अपूर्वा पाण्डेय)
अपर सचिव

संख्याः– (1)/XXIX-2/2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।

5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
7. निदेशक, एन०आई०सी०, देहरादून।
8. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by Dhruve Mohan Singh Rana
Date: 25-09-2025 18:14:45

(डी०एम०एस० राणा)
संयुक्त सचिव